



प्रेस नोट जनपद बागपत
साइबर क्राइम सेल

दिनांक 26.05.2026

साइबर क्राइम सेल द्वारा इंस्टाग्राम व फेसबुक पर लोन देने का विज्ञापन देकर अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑन-लाइन ठगी करने वाले मु०अ०सं०- 28/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),111(2),3(5), BNS व 66D IT Act से संबंधित 01 अभियुक्त व 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 15 मोबाइल फोन, 01 मॉनीटर, 01 सीपीयू, 01 प्रिन्टर, 01 लेमीनेशन, 01 लैपटॉप, 45,250 रुपये नगद, 02 कार तथा 02 फर्जी आधार कार्ड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/ कार्यवाही--

गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त मो० न०- Mobile No: 8791154179 पर शिकायत संख्या न० 32101260003815 दर्ज होना पाया गया। इन मो० न० की तकनीकी जाँच से अतिरिक्त 08 संदिग्ध मो० न० प्राप्त हुये। उक्त 08 मो० न० पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशो से कुल 16 शिकायते प्रकाश मे आई। उक्त शिकायतो की जांच के अनुक्रम मे 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा पुरानी फाइनेंस कम्पनी जो पहले से रजिस्टर्ड हो उसमें फर्जी तरीके से प्राप्त मोबाइल नं० दर्शाकर फर्जी तरीके से लोन देने के नाम पर फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपना विज्ञापन लगाया जाता है। जरूरतमंदों के द्वारा विज्ञापन में प्रदर्शित कॉल नाओ के बटन पर क्लिक करते ही उनकी बात अभियुक्तों से होती है फिर जरूरतमंदों को अभियुक्तों द्वारा पूरी प्रक्रिया सम्प्राप्ति जाती है



और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 4200 रुपये क्यू आर कोड / यूपीआई के माध्यम से ले लेते हैं तथा अन्य प्रक्रिया के नाम पर लगभग 15 से 30 हजार रूपय तक अतिरिक्त ले लेते हैं तथा कुछ लोगों को अपनी फर्जी कम्पनी में ऐजेंट बनाने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में 4200 रुपये ले लेते हैं और उन्हें एक फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र उनके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। उपरोक्त अपराध गंभीर एवं दण्डनीय अपराध है। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना बागपत द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुये थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या-28/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),111(2),3(5), BNS व 66D IT Act पंजीकृत कराया गया है व उपरोक्त अभियुक्तों को दिनांक 26/05/2026 को समय करीब 12.30 PM पर दिल्ली- साहरनपुर मार्ग इस्टर्न पेरीफेरल ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे 15 मोबाइल फोन, 01 मोनीटर, 01 सीपीयू, 01 प्रिन्टर, 01 लेमीनेशन, 01 लैपटॉप, 45,250 रुपये नगद, 02 कार, 02 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुये हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में साइबर सेल बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण:-

- 15 मोबाइल फोन ।
- 45,250 रुपये नगद ।
- 02 कार (01 मारुती ब्रेजा न0 UP15FD2453, 01 फ्रोंक्स बिना न0)
- 01 प्रिन्टर ।
- 01 लेमीनेशन ।
- 01 लैपटाप ।
- 02 फर्जी आधार कार्ड ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

- 1-नदीम पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी ग्राम सिंधावली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 2-एक महिला ।
- 3-अतीक पुत्र मौ0 अनीस नि0- सिंधावली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 4-शाहरुख पुत्र सलीम नि0- नगला रुद्र थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर
- 5-शौकीन पुत्र लियाकत नि0-सिंधावली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ
- 6-मतीन पुत्र तौफिक खान नि0-पटौटी थाना पटौटी जिला गुरुगाम हरियाणा

7-अभिषेक पुत्र शिवकुमार नि0-मौहल्ला हनुमान नगर थाना मोदीनगर जिला
गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 – 279/25 धारा 61(2),340(2),338,336,316(2),319(2)318(4), थाना पल्लवपुरम, जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 – 19/25 थाना साइबर क्राइम, जनपद अमरोहा
3. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 32101260003815
4. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 30503260032111
5. ACKNOWLEDGEMENT NO.-33102256627340
6. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 21303250011344
7. ACKNOWLEDGEMENT NO.-23103250036883
8. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 23103250047936
9. ACKNOWLEDGEMENT NO.-23105250076089
10. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 23106250082345
11. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 31303250014604
12. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 32706250042814
13. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 33103250028653
14. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 33306250014642
15. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 31109250198392
16. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 32102260008199
17. ACKNOWLEDGEMENT NO.-30501260000596
18. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 33306250014642
19. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 20501260000004
20. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 305012600005986
21. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 321012600000019
22. ACKNOWLEDGEMENT NO.- 356027318958360
- 2.ACKNOWLEDGEMENT NO.- 33306240011422 चम्पा मुलमुला छतीसगढ़
- 3.ACKNOWLEDGEMENT NO.- 32701260008291 जयपुर, राजस्थान

घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल बागपत पुलिस टीम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनाँक 26-05-2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 644 रामटाईगर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 748 रामजीलाल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 मोहित कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 289 शैलेन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 808 गोविन्द कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 26.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक टाटा कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक टाटा कैंटर रजि0 नं0 UP17 AT 4962 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 18 पशु बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 339/2026 धारा

3/11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आमिर पुत्र नौशाद निवासी अमीनगर सराय थाना सिंहावली अहीर जनपद बागपत हाल पता पुराना कस्बा केतीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 32 वर्ष
- 2-जीशान पुत्र शफीक निवासी पुराना कस्बा कातीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 26 वर्ष



3-साबिर पुत्र यासीन निवासी पुराना कस्बा कातीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद
बागपत उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे 18 पशू।
- 01 टाटा कैंटर रजि० नं० UP17 AT 4962

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-रि०का० 481 सुशान्त थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-चा० का० 1120 धीरज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

